

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 478/2018 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. चानणराम पुत्र पुरखाराम जाति सुनार निवासी बन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. पतराम पुत्र पुरखाराम जाति सुनार निवासी बन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. उदी पत्नी पुरखाराम जाति सुनार निवासी बन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सुरीया पुत्री पुरखाराम जाति सुनार निवासी बन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. सोना पुत्री पुरखाराम जाति सुनार निवासी बन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. रूपा पुत्री पुरखाराम जाति सुनार निवासी बन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्ण पुत्र पुरखाराम जाति सुनार निवासी बन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोद कुमार स्वामी वकील-वादीगण

श्री उमाशंकर शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4

श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक- 09.04.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रौही मौजा बन्नासर के ख.नं. 269 की 5.185 है., ख.नं. 272 की 2.997 है., ख.नं. 762/429 की 6.323 है. कुल 14.505 है. भूमि से पुरखाराम पुत्र बस्तीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.04.2024 को जारी की गई।

09/04/24  
(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

